



भारतीय पुनर्वास परिषद्

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन एक सांविधिक निकाय)

REHABILITATION COUNCIL OF INDIA

(A Statutory Body under the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities)

01st November, 2016

No.8-A (Policy)/2016-RCI

CIRCULAR

Subject: Practice by unqualified persons in the field of Disability rehabilitation – regarding

The Chief Commissioner for Persons with Disabilities (CCPD), Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt of India has issued a circular No.11-9/CCPD/2016/R4755 dated 25.10.2016 on the aforesaid subject which is displayed here with enclosures (English/Hindi) for further necessary action accordingly by all concerned.

(S.K. Srivastava) Member Secretary

Copy for information and necessary action to:

All RCI approved Institutions & Professional Associations working in Disability Rehabilitation

in

Please Recyc





न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन संशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment भारत सरकार / Government of India

F.No.11-9/CCD/2016/R4765

Dated 25.10.2016

To.

The Chief Secretary/Administrator, All States/Union Territories. (As per list)

Sub: Practice by unqualified persons in the field of Disability rehabilitation-reg.

Sir.

A representation has been received from President, Orthotics & Prosthetic Association of India (OPAI) regarding practice by unqualified persons in the field of disability (photocopy enclosed).

- It is to apprise that programmes in the field of Prosthetic & Orthotics such as Diploma, Degree and Masters are offered by the institution only after approval from Rehabilitation Council of India (RCI). After completion of RCI approved courses, the candidates are registered in Central Rehabilitation Register (CRR) of RCI which authorises them to practise in the relevant field. President, OPAI has requested the Council to take appropriate action against ineligible, unqualified persons practising in the field of Prosthetic and Orthotics and providing services to person with disability.
- It is to bring to your kind notice that RCI have been allocated 16 Categories of professionals under Section 2(n) of RCI Act 1992. At present Council has 54 programmes from certificate to Doctorate level are being offered at RCI approved Institutes throughout the Country. Some of the programmes such as Prosthetic & Orthotics, Clinical Psychology, Speech & Hearing etc. are required to deliver specialised consultation at grass root level. If the services are delivered by untrained or unqualified individuals to persons with disabilities, it may in turn harm the persons with disabilities. Hence, there is urgent need to take action against such persons so that practice by unprofessional/unqualified persons may be restricted.
- I am enclosing a list of 54 Courses approved by Rehabilitation Council of India being offered in 16 categories with a request to direct Secretaries and Commissioners of your State/Union Territory to take cognizance of such matter under Section 13 & Section 25 of Rehabilitation Council of India Act, 1992; and Section 61 & Section 62 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 so that practice by unqualified professionals may be curbed.

Yours faithfully,

Encl: as above

(Dr. Kamlesh Kr. Pandey) Chief Commissioner for

annital agric

Persons with Disabilities

भाक्ष्युंक्षक सीकआर० युट देनार्री.....हिनोक..

(Contd...2)

Copy to:

- (i) The Secretary, Department of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice & Empowerment, Room No. 515, 5th Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi- 110003.
- (ii) The Commissioner for Persons with Disabilities, All States/Union Territories (As per list) with a request to take disciplinary action against unqualified persons practising in the field of disability and monthly action taken report in this regard may be sent to the office of the undersigned in the first week of every month as per the proforma enclosed.
- (iii) The Secretary/Member Secretary, Rehabilitation Council of India, B-22, Qutub Institutional Area, New Delhi- 110016 for information.
 - (iv) The President, Orthotics & Prosthetic Association of India, Vimhans Hospital, 1 Institutional Area, Nehru Nagar, Near PGDAV College, New Delhi-110065 for information.




न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन संशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment भारत सरकार / Government of India

फाइल संख्या 11-9/सीसीडी/2016 RY 755

सेवा में

मुख्य सचिव / प्रशासक, समस्त प्रदेश / समस्त केन्द्र शासित प्रदेश (सूची संलग्न)



विषय— अयोग्य व्यक्तियों द्वारा दिव्यांगता के क्षेत्र में व्यवसायिक अभ्यास रोकने के सम्बन्ध में महोदय/महोदया,

ऑर्थोटिक्स एवं प्रोस्थेटिक्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष द्वारा एक पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) प्रस्तुत करके यह अवगत कराया गया है कि इस क्षेत्र में बहुत से अयोग्य व्यक्ति व्यवसायिक के रूप में कार्य कर रहे हैं जिसके कारण योग्य व्यवसायिकों में असंतोष के साथ—साथ मरीज़ों को भी बहुत नुकसान हो रहा है।

- 2. यह भी अवगत कराया गया है कि प्रोस्थेटिक्स एवं ऑथॉटिक्स से सम्बन्धित डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद्, भारत सरकार के अनुमोदन के पश्चात ही संचालित किया जाता है। पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थियों को भारतीय पुनर्वास परिषद् में पंजीकृत कर पंजीयन नम्बर प्राप्त करना होता है जिसके पश्चात ही वह इस क्षेत्र में व्यवसायिक के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होते हैं। इस एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि प्रोस्थेटिक्स एवं ऑथॉटिक्स के क्षेत्र में अयोग्य व्यक्तियों द्वारा दी जा रही सेवाओं पर तुरन्त अंकुश लगाया जाये एवं उन्हें इस हेतु समुचित दण्ड भी दिया जाये।
- 3. आप के संज्ञान में लाना चाहुँगा कि भारतीय पुनर्वास परिषद् के माध्यम से 16 श्रेणियों में 54 प्रकार के पाठ्यक्रम दिव्यांगता के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित किए जाते हैं जिससे सम्बन्धित डिग्री, डिप्लोमाधारियों को भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा पंजीयन संख्या प्रदान की जाती है एवं उसके पश्चात ही वह व्यक्ति इस क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत होते हैं। इन पाठ्यक्रमों में कुछ ऐसे भी पाठ्यक्रम हैं यथा प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्र्थोटिक्स, नैदानिक मनोविज्ञान, वाणी एवं श्रवणता में विशेषज्ञता जिसमें श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक आदि सम्मिलित हैं, आदि विषयों में ज़मीनी स्तर पर लोगों को विशेषज्ञ परामर्श की आवश्यकता होती है। ऐसे में गैर प्रशिक्षित अथवा गैर अनुमोदित पाठ्यक्रम पूर्ण किए हुए जो लोग पेशेवर के रूप में अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं, उन पर अविलम्ब अंकुश लगाए जाने की परम आवश्यकता है।

(क्रमशः पृष्ठ २ पर)

4. भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित 16 श्रेणियों में 54 प्रकार के पाठ्यक्रम आपके सुलभ संदर्भ हेतु इस आशय एवं अनुरोध के साथ संलग्न कर रहा हूँ कि कृपया अपने प्रदेश से सम्बन्धित सचिव एवं आयुक्त दिव्यांगजन को निर्देशित करने का कष्ट करें की वह ऐसे प्रकरणों के संज्ञान में आने पर भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992 की धारा 13 एवं धारा 25 तथा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 61 व 62 के अन्तर्गत तत्काल प्रभावी एवं दंडात्मक कार्यवाही करें ताकि दिव्यांगता के क्षेत्र में आयोग्य व्यक्तियों द्वारा व्यवसायिक अभ्यास करने की प्रक्रिया पर अंकुश लगाया जा सके।

भवदीय,

and a and

संलग्नक – यथोपरि

(डा॰ कमलेश कुमार पाण्डेय) मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन

प्रतिलिपि --

- 1. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, कक्ष संख्या 515, पाँचवा तल, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली — 110003
- 2. आयुक्त दिव्यांगजन, समस्त प्रदेश/समस्त केन्द्र शासित प्रदेश (सूची संलग्न) को इस अनुरोध के साथ कि ऐसे अयोग्य व्यक्तियों द्वारा दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुचित अभ्यास करने पर एवं इस संदर्भ में कोई भी प्रकरण संज्ञान में आने पर अविलम्ब दण्डात्मक कार्यवाही करें एवं इस विषय पर कृत कार्यवाही की सूचना अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में संलग्न प्रारूप पर प्रेक्षित करना सुनिश्चित करें (प्रारूप संलग्न)
- अ. सदस्य सचिव, भारतीय पुनर्वास पिषद्, बी—22, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली—110016 — सूचनार्थ
 - 4. अध्यक्ष, ऑर्थोटिक्स एवं प्रोस्थेटिक्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, विमहंस हॉस्पिटल, 1 इंस्टीट्यूशनल एरिया, नेहरू नगर, निकट पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज, नई दिल्ली—110065 — सूचनार्थ